में कहा सुनी गई। लेकिन इस कोई
कहा नहीं कहना चाहते हैं दोनों
उपस्थित कक्ष, इसलिए पत्रावली
आगे आदेश दिनांक 22/6/2016
को पेश होवे।

22/6/2016 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं
अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। प्रार्थीगण
श्री मनि लालजी कौं० द्वारा प्रस्तुत मूल
दावा सं० 69/2008 उनवान श्री मनि
लालजी कौं० बनाम मांगी लाल वगै० में
अधिकारी पूर्व में दिये की ना युक्ती है
तथा अप्रार्थीगण (प्र० सं० 46/2008 के
प्रार्थीगण) द्वारा प्रस्तुत दावा सं० 46/2008
उनवान मांगी लाल वगैरह बनाम
मनि लाल कौं० एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत
दावा सं० 69/2008 को मिला कर कायम
की गई मानविवाद में से मनकी

P.T.O.

संख्या 6, " आपत्ति वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के शपथित पूर्व कब्जे वादग्रस्त में हस्तक्षेप कर क्षति कारित करना यथा" विपक्षीगण विवेचना के पश्चात नोटिसीगण (एवं वकील में प्रार्थीगण) के विरुद्ध है कि निष्क्रियता की गई है तथा प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध नहीं कर पाये हैं; अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

22/06/16

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ---